

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2024/132801/JHS/JHANSI/787/CFO**दिनांक : **29-09-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ST. XAVIERS SCHOOL** पता **2048, 2050-1, 2294, 2295, 2297 AND 2051-1, SITUATED AT NAYA KHEDA ROAD BABINA, JHANSI** तहसील - **JHANSI** प्लॉट एरिया **48350 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2640** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	10.8 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ST. XAVIERS SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-09-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MR. SUDHIR KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-09-2024** से **30-09-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST. XAVIERS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST. XAVIERS SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : As per inspection and recommendation report of fsso. This fire safety report is being issued for the School building constructed from ground floor to second floor. All exit routes/stairs should always be kept obstruction free and as per standard. All fire safety system should always be kept functional and available as per standard. Trained staff should always be available to operate fire equipment. It will be mandatory to conduct electric safety audit of the building from time to time. If the building owner/manager violates any standard related to fire and life safety or the fire fighting system is not found functional/as per standard, then this report will be considered automatically cancelled.



निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-09-2024**
स्थान : **JHANSI**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Raj Kishor Rai

AEA95FF1DB178704748CAC7A8CF6237CFA6C9054

30-09-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.